न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : लक्ष्मीकान्त कटारा , आर.ए.एस.
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2018/00453
पत्थरगढ़ी प्रार्थना पत्र संख्या :— 41/2018

श्रीमती लच्छी देवी धर्मपत्नी श्री नानगराम, जाति माली, निवासी ढेहर का बालाजी, चौंमू रोड, जयपुर।

— — — प्रार्थियां

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर
2. नकुल गोयल पुत्र श्री विजेन्द्र कुमार गोयल जाति महाजन, निवासी प्लाट नम्बर 35, शिवनगर, मुरलीपुरा स्कीम, रोड नं. 1 मुरलीपुरा जयपुर।
3. जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर जरिए सचिव, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, इन्द्रा सर्किल के पास, जयपुर।
4. मोहन लाल पुत्र श्री ईश्वर लाल, जाति जाट
5. शंकर लाल पुत्र श्री ईश्वर लाल, जाति जाट
   निवासीगण ग्राम जयरामपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
6. रामनारायण पुत्र श्री बेणाराम (मृतक)
   6/1. हनुमान पुत्र स्व. श्री रामनारायण
   6/2. राजू पुत्र स्व. श्री रामनारायण
   जातियान माली निवासी नांगल जैसा बोहरा, तहसील व जिला जयपुर।

— — — अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, सपठित धारा 128
भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक :—09.12.2020

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थियां द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत् पत्थरगढी का प्रस्तुत कर कथन किया है कि वाके ग्राम जयरामपुरा पटवार हल्का जयरामपुरा गिरदावर सर्किल तहसील आमेर जिला जयपुर की सरहद में कृषि भूमि खसरा नम्बर 1333 रकबा 0.90 हैक्टे0, खसरा नम्बर 1334/1925 रकबा 0.36 हैक्टे0, कुल किता 2 कुल रकबा 1. 26 हैक्टे0 स्थित है। जिसकी खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीयां के नाम खसरा नम्बर 1333 में 79/180 व अप्रार्थी सं0 2 के नाम हिस्सा 101/180 है, प्रार्थीयां खसरा नम्बर 1333 के 79/180 व खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Katara
Date: 2021.01.22 17:15:54 IST
Reason: Self Attested

1334/1925 सम्पूर्ण पर काबिज होकर काश्त कर रही है। प्रार्थीया ने खसरा नम्बर 1333 रकबा 0.90 हैक्टे0, खसरा नम्बर 1334/1925 रकबा 0.36 हैक्टे0 के सीमाज्ञान हेतु उपतहसीलदार रामपुरा डाबडी को आवेदन किया था। जिस पर उप–तहसीलदार रामपुरा डाबडी ने आदेश क्रमांक/भू.अ./18/1006 दिनांक 13.06.2018 को जारी किया जिसके अनुपालना में उक्त भूमि के सीमाज्ञान बाबत् दिनांक 14.06.2018 को हल्का पटवारी ने पक्षकारान की मौजूदगी में सीमाज्ञान करवाया था। ऊपर वर्णित आराजीयात की कृषि भूमि के चारो सीमाए पुख्ता नहीं है और ना ही मेड बन्दी की हुई है। इसलिए पडोसी खातेदार आये दिन सींव के बाबत् झगडा–फसाद करते रहते है। इसलिए प्रार्थीयां अपनी उक्त कृषि भूमि की सीमाऐं पुख्ता करने के उद्देश्य से पत्थरगढी करवाना चाहती है।

प्रार्थीयां अपनी खातेदारी की कृषि भूमि के चारों सीमाओं पर पीलर चिन्ह ओर तारबन्दी करवाना चाहती है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का कोई विवाद न रहे, इसलिए खसरा नम्बर 1333 रकबा 0.90 हैक्टे0, खसरा नम्बर 1334/1925 रकबा 0.36 हैक्टे0 का विधिवत रूप से नाप करवाकर पुख्ता सीमा चिन्ह कायम कराना चाहती है। इस कारण प्रार्थीयां को यह प्रार्थना पत्र सीमा निर्धारण एवं पुख्ता सीमा चिन्ह लगवाने हेतु न्यायालय श्रीमान् के समक्ष यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया की भूमि खसरा नम्बर 1333 रकबा 0.90 हैक्टे0, खसरा नम्बर 1334/1925 रकबा 0.36 हैक्टे0 कुल किता 2 रकबा 1.26 हैक्टे0 वाके ग्राम जयरामपुरा पटवार हल्का जयरामपुरा गिरदावर हल्का खोराबिसल तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित है कि पत्थरगढी का आदेश फरमाया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार जी आमेर को आदेशित किया जावे कि प्रार्थीयां की उक्त कृषि भूमि की नियमानुसार व विधिवत रूप से पत्थरगढी करने का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी की गई। अप्रार्थीगण सं0 2, 4 एवं 5 की ओर से अधिवक्ता श्री महेश चन्द शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। जवाब पेश नहीं करना चाहते। अप्रार्थीगण सं0 6 के वारिसान 6/1, 6/2 [illegible] जारी किये हुए 01 माह से अधिक का समय हो चुका है उपस्थित नहीं हुए। अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण 03 की ओर से अधिवक्ता उमेश जी उपस्थित है। तहसीलदार आमेर से प्रार्थना पत्र की बिन्दूवार तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई जो उनके पत्र क्रमांक भू.अ./19/2123 दिनांक 15.05.2019 के द्वारा भिजवाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक ग्राम जयरामपुरा की सरहद में कृषि भूमि ख0नं0 1333 रकबा 0.90 है0, ख0नं0 1334/1925 रकबा 0.36 है0, कुल खसरा नम्बर 2 रकबा 1.26

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Katara
Date: 2021.01.22 17:15:54 IST
Reason: SelfAttested

हैक्टे0 भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 14.06.2018 को हो चुका है। वर्तमान में उक्त भूमि मौके पर खाली है। खसरा नम्बर 1333, 1334/1925 के उत्तर दिशा में खसरा नम्बर 1332 की खातेदारी जयपुर विकास प्राधिकरण, दक्षिण दिशा में खसरा नम्बर 1337 की खातेदारी मोहनलाल, शंकरलाल पिता ईश्वरलाल जाति जाट वगैरह, पूर्व दिशा में खसरा नम्बर 1334 की खातेदारी रामनारायण पुत्र बेणाराम जाति माली सा. नांगल जैसाबोहरा तहसील व जिला जयपुर, पश्चिम दिशा में गैरमुमकिन रास्ते के नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है।

हमने विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थियां की खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 14.06.2018 को किया जा चुका है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि में किसी प्रकार का विवाद न्यायालय में स्थगन या कोई आपत्ति नहीं बताई है। अतः प्रार्थियां का प्रार्थना पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार आमेर को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थियां की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1333 रकबा 0.90 हैक्टे0, खसरा नम्बर 1334/1925 रकबा 0.36 हैक्टे0, कुल किता 2 कुल रकबा 1.26 हैक्टे0 वाके ग्राम जयरामपुरा पटवार हल्का जयरामपुरा गिरदावर हल्का खोराबिसल तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित की फीस पत्थरगढी प्राप्त कर राजकोष में नियमानुसार जमा करवाये तथा पत्थरगढी की कार्यवाही से पूर्व पडौसी खातेदारान को विधिवत नोटिस व सूचना दिया जाकर उभयपक्षों की उपस्थिति में सम्पादित करावें। यदि कोई कब्जेकाश्त का विवाद हो तो पत्थरगढी के दौरान भूमि की बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें। आदेश सुनाया गया।

आज दिनांक 09.12.2020 को निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लक्ष्मीकान्त कटारा)
उपखण्ड अधिकारी
आमेर जिला जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Katara
Date: 2021.01.22 17:15:54 IST
Reason: SelfAttested